न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 96/2022 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2022/100)

श्रीमती चम्बल देवी पुत्री कुन्दन धर्मपत्नि बैजूराम जाति माली निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 23.5.2022 व सिलसिले प्रार्थना पत्र संख्या 50/19 श्रीमती चम्बल देवी बनाम राज0 सरकार अंतर्गत नियम 18(4) प्रोवीजो रा0लै0रे0एक्ट (एलोटमेन्ट आफ लैण्ड फौर एग्रीकल्चर परपज) 1970

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 25.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.5.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टा ने गैरखातेदारी से खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के लिये सहायक कलक्टर नदबई के यहां दावा उनवानी चम्बल देवी बनाम राज0 सरकार संख्या 158/13 प्रस्तुत था। जिसका निर्णय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा दिनांक 23.2.2015 को करते हुये अपीलान्टा के हक में डिक्री पारित की। गैर खातेदार से खातेदारी की डिक्री इस आधार पर प्रदान नहीं की, क्यों कि प्रार्थीया के गैर खातेदारी आ0ख0नं0 960 रकबा 0.25 ऐयर कस्बा नदबई क्षेत्र में स्थित है। गैरखातेदारी से खातेदारी देने में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एलोटमेन्ट आफ और एग्रीकल्चर परपजेज) 1970 के नियम 18(4) में जोडे गये प्रोवीजो के अंतर्गत जिला कलक्टर सक्षम है। अपीलान्टा द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष इस बाबत अंतर्गत नियम 18(4) प्रोवीजो रा0लै0रे0एक्ट (एलोटमेन्ट आफ लैण्ड फौर एग्रीकल्चर परपज) 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर बाद कार्यवाही जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2022 पारित करते हुये अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र खारिज कर यह आदेश पारित किये कि सहायक कलक्टर नदबर्ठ निर्णय डिक्री दिनांक 23.2.2015 के संदर्भ में यह प्रार्थना पत्र करीब 7 साल बाद पेश किया गया है। अपीलान्टा को निर्णय डिक्री की अगर ईजराय कराना है तो उसे सक्षम न्यायालय में विधिवत कार्यवाही करनी चाहिऐ थी। अगर उन्हें निर्णय डिक्री से कोई हकतलफी है तो नियमों में दिये गये प्रावधानानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चहिऐ थी अस्तु प्रार्थना पत्र

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2022 से खारिज कर दिया गया। इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलान्टा द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी कराने हेतु एक दावा सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 23.2.2015 को अपीलान्टा के हक में डिकी पारित करते हुये आराजी खसरा नम्बर 960/0.25 वाकै कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर के संबध में वादिनी/अपीलान्टा का कब्जा काश्त घोषित किया गया। परन्तु गैर खातेदारी से खातेदारी के संबध में यह लिख दिया कि " गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 क नियम 18 के उप नियम (4) में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 में जोडे गये परन्तुक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।" इस टिप्पणी के साथ अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दावे का निर्णय किया गया। इस निर्णय के बाद अपीलान्टा द्वारा संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष सुनवाई हेतु वापिस कर दिए जाने के कारण अपीलान्टा द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिला कलक्टर भरतपुर ने बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.2015 पर गौर किये तथा रिकार्ड व मौके के विपरीत अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2022 के द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। चूंकि सहायक कलक्टर नदबई द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.2015 में उक्त आराजी पर अपीलान्टा का कब्जे काश्त की घोषणा की है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के संबंध में आवंटन नियमों के तहत सक्षम कार्यालय में आवेदन किए जाने के निर्देश अपीलान्ट को दिए गए थे। जिसकी पालना में अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए जाने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 क नियम 18 उप नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 में जोडे गये परन्तुक पर गौर किये बिना ही अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश में उक्त अधिसूचना के संबध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं। अपीलाधीन आदेश अधिसूचना से बाहर जाकर तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों से बाहर जाकर खारिज किया है जो निरस्तनीय है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्टा द्वारा निर्णय दिनांक 23.2.2015 की पालना में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है और उक्त प्रार्थना पत्र गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर पेश किया है। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई समय सीमा नियमों में निर्धारित नहीं है लेकिन तहत अदालत द्वारा यह मानते हुए कि उज्दारी 7 साल बाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो कि विधिविरूद्ध है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलान्टा द्वारा न तो न्यायालय के समक्ष कोई उज्दारी पेश की गई है और न ही निर्णय व डिक्री की अपील ही पेश की है, परन्तु अदालत तहत ने उपरोक्त फाईडिंग देने में भारी भूल की है, जिससे स्पष्ट है कि अदालत तहत ने पत्रावली पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट गरीब, वृद्ध, अनपढ, असहाय, विधवा औरत है जो कानून की बारिकीयों को नहीं समझती है और अदालत के बार–बार चक्कर लगाने में भी असमर्थ है इसलिऐ प्रत्येक पेशी पर भी उपस्थित नहीं हो पाई थी। इस कारण अदालत तहत ने निर्णय दिनांक 23.5.2022 की जानकारी अपीलान्टा को नहीं हो सकी है दिनांक 27.6.2022 को जैसे–तैसे अपीलान्टा आयी और प्रकरण की जानकारी की तो प्रकरण के खारिज होने की सूचना दी। जिसकी नकल दिनांक 28.6.2022 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थीया बुखार व खांसी जुकाम से पीडित हो गयी। जिसका इलाज नदबई में ही चला। अपीलान्टा के स्वस्थ होने पर दिनांक 26.8.2022 को अधिवक्ता के पास भरतपुर आयी जिन्होंने अपील करने को कहा। इसी कारण अपीलान्टा द्वारा यह अपील जानकारी होते ही पेश की गई है। परिस्थितिवश एवं जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। इसे लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 निरस्त किया जावे व विवादित भूमि को अपीलान्ट की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 29.08.2022 को मियाद बाहर अपील पेश की गई है। इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किए जाने योग्य है।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब ही पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी रही हो। केवल मात्र मौखिक बहस के आधार पर ही अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए बिना तकनीकी आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश दिनांक 23.05.2022 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 29.08.2022 को अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी विन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27.06.2022 को होने, नकल दिनांक 28.06.2022 को प्राप्त होने, इसके बाद अस्वस्थ होने के कारण अपील पेश नहीं करने तथा दिनांक 26.08.2022 को अधिवक्ता के पास आने व अपील पेश करने की जानकारी दिए जाने पर अपील पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किए जाने की इस्तदुआ की गई है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। रैस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाव पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत हैं। केवल सरकारी पैरोकार ने जवानी वहस में अपील के मियाद बाहर होने के आधार पर अपीलान्ट की अपील को खारिज किए जाने का तर्क दिया, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मियाद के संबंध में निम्न वर्णित नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी विन्दु पर अपील को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तथा अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त आदेश में विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलान्ट की ओर से सहायक कलक्टर नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2015 के संबंध में उज्रदारी 7 साल बाद पेश की गई है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट को निर्णय डिकी की अगर इजराय कराना है तो उसे सक्षम न्यायालय में विधिवत कार्यवाही करनी चाहिए थी, अगर उन्हें निर्णय डिकी से हकतलफी है तो नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर का उक्त अभिमत उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 (4) के तहत प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ नियम 18 (4) के प्रावधान व राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.05.2015 की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 (4) में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार दिए जाने के प्रावधान हैं। जिसमें नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार दिए जाने का भी उल्लेख है, जो कि नियम 18 (4) के प्रोविजों में संभागीय आयुक्त की क्षेत्राधिकारिता में थे। जिसे राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.05.2015 के द्वारा जिला कलक्टर को दे दिया गया है। विद्वान जिला कलक्टर को उक्त आवंटन नियमों के नियम 18 (4) के तहत अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समुचित परीक्षण करने के बाद कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई है अथवा नहीं के बाद आवेदित भूमि के खातेदारी अधिकार दिए जाने/नहीं दिए जाने के बारे में निर्णय करना था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2015 में यह माना जाना कि अपीलान्ट की ओर स 7 वर्ष बाद उज्रदारी पेश की गई है, उचित नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में सहायक कलक्टर नदबई की ओर से पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 के संबंध में कोई उज्रदारी पेश नहीं कर आवंटन नियमों के तहत खातदेारी अधिकार दिए जाने बाबत आवेदन किया गया है। जिसका कि उक्त नियमों के तहत ही निर्णय करना आवश्यक था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 निरस्त किया जाता है। उक्त प्रकरण जिला कलक्टर भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 (4) में वर्णित प्रोविजों जिसमें शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार दिए जाने से संबंधित प्रावधान में उल्लेखित है, के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 13.05.2015 जिसके द्वारा उक्त अधिकार संबंधित जिला कलक्टर को दिए गए हैं, के तहत परीक्षण कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पुनः नए सिरे से समुचित निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर